संख्या-81/2018/2787 ई-2/तेरह-2018-166/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 28 अगस्त,2018

विषय:-जनपद गाजियाबाद में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-374/1/आ0लि0/एफ0एल0-6समिश्र/बार-अनु0/2018-19, दिनांक 22 जून,2018 तथा पत्र संख्या-374/3/आ0लि0/एफ0एल0-7/बार-अनु0/2018-19, दिनांक 22 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरणों में जिला बार समिति की बैठक दि0 15-6-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-87/दस-लाइसेंस-63/एफ0एल0-6,7/बार बेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी/ गाजि0/2018-19, दिनांक 31 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-88/दस-लाइसेंस-63/एफ0एल0-6,7/बार बेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी/गाजि0/2018-19, दिनांक 31 जुलाई,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 के लिये (1) श्री पवन गोयल (प्रोपराइटर एस0पी0एस0 बिल्डर्स) पुत्र श्री हरि प्रसाद गोयल, नि0 द्वितीय एफ-52, नेहररूनगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित क्लार्क इन ग्रेस्ट हाऊस प्लाटनं0-41 कौशाम्बी जिला गाजियाबाद को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन तथा (2) मेसर्स बारबेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी लि0, पंजीकृत कार्यालय एस0वाई0 नं0-62, साइट नं0-13, छठा क्रास, एन0एस0 पालया, बी0टी0एस0 लाउ, बंगलौर, कर्नाटक द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट बारबेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी लि0 5वीं मंजिल गौर सेन्ट्रल माल, आ0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

संख्या-81/2018/2787(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-87/दस-लाइसेंस-63/एफ0एल0-6,7/बार बेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी/गाजि0/2018-19, दिनांक 31 जुलाई,2018 तथा पत्र संख्या-जी-88/दस-लाइसेंस-63/एफ0एल0-6,7/बार बेक्यू नेशन हास्पिटैलिटी/गाजि0/2018-19, दिनांक 31 जुलाई,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।